



आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली
कार्मिक विभाग

सं. E-1/MCF/Med/Prom/Gr'D'

दिनांक : 09.09.2021

सूचना

विषय:-आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली के चिकित्सा विभाग में 100% पदोन्नति कोटा के अन्तर्गत ड्रेसर-111/ओ टी ए-111 (वेतन लेवल 2) के पद पर पदोन्नति के संबंध में।


संदर्भ :- सहायक कार्मिक अधिकारी/स्टाफ का गोपनीय पत्रांक दिनांक 09.09.2021

उपरोक्त संदर्भित पत्रांक दिनांक 09.09.2021 द्वारा आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली के चिकित्सा विभाग में ड्रेसर-111/ओ टी ए-111 (वेतन लेवल 2) के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मचारियों का पैनल प्राप्त हुआ है। जिसमें उक्त पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 25.08.2021 को सम्पन्न लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मचारियों को ड्रेसर-111/ओ टी ए-111 (वेतन लेवल 2) के पद पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया है:-

S. N.	Emp. No	Name of Employee (S/Sri)	Cat.	Present Post (Level-2)	Result
1	503DLC31236	Ajay Vardhan	SC	HA	Suitable
2	52000200604	Pawan Kumar Meena	ST	HA	Suitable

"This panel/promotion is provisional and subject to the outcome of the main SLPs and contempt petition (C) No. 314/2016 in SLP(C) No. 4831/2012-Samta Andolan Samiti through its President vs Sanjay Kothari & Ors and any other cases pending in any court of law on the subject panel/promotion."

यदि उपरोक्त चयन तालिका (Select list) में तालिकाबद्ध कर्मचारियों के विरुद्ध डी.एण्ड.ए.आर. एवं विजिलेन्स से संबंधित कोई कार्यवाही लंबित हो या प्रक्षेपित हो जिसके लंबित या प्रक्षेपित होने पर कर्मचारी को पदोन्नत नहीं किया जा सकता है, तो उक्त संबंध में इस कार्यालय को तत्काल सूचित करें।
इसे सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।


सहायक कार्मिक अधिकारी/स्टाफ
कृते महाप्रबन्धक(कार्मिक)

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी/आरेडिका/रायबरेली।
2. उप वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/आरेडिका/रायबरेली।
3. व.का.अधि./वेतन एवं आई टी., एमसीएफ/आरबीएल: कृपया एमसीएफ/आरबीएल के मोबाइल एप्स/वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. महासचिव/ए आई आर एफ/एन एफ आई आर/एस सी एस टी एसोशिएशन/ओबीसी एसोशिएशन/बीएमएस/ आरेडिका/रायबरेली।
5. मुख्य कार्यालय अधीक्षक/एन जी, संबंधित कैंडर डीलर/संबंधित कल्याण निरीक्षक/कार्मिक शाखा।
6. सभी नोटिस बोर्ड, संबंधित कर्मचारी।